U.F.M. (Odd Semester/Professional/Annual Exam- 2022)

B.Sc. I Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Rahul Kumar	2201320416	Physics Paper I	MB PG Haldwani	12	Level 2
2	Areena Singh	2203020194	Physics Paper II	SBS Rudrapur	9	Level 3
3	Rohit	2102920084	Physics Paper II	R.H. Govt. PG Kashipur	2	Level 4
4	Om Kumar	2203120071	Maths Paper I	HNB Khatima	5	Level 2
5	Raj Verma	2203120085	Chemistry Paper II	HNB Khatima	5	Level 2
6	Yogesh Bhatt	2203120116	Chemistry Paper II	HNB Khatima	2	Level 2
7	Shehril Khan	2202920337	Chemistry Paper I	R.H. PG Kashipur	3	Level 3
8	Anamika	2203020198	Chemistry Paper III	SBS Rudrapur	2	Level 3
9	Rajni Nayal	2201520236	Chemistry Paper III	IP Hladwani	10	Level 3
10	Kamal Singh Mehra	2201320227	Chemistry Paper III	MB PG Hld	9	Level 4

09-07-2022

11	**Aman Deep Kumar**	**2101320029**	**Chemistry Paper III**	**MB PG Hld**	**9**	**Level 4**
12	**Bhaskar Devradhi**	**2201320084**	**Chemistry Paper III**	**MB PG Hld**	**9**	**Level 4**
13	**Abhnav Chaube**	**2201320006**	**Chemistry Paper III**	**MB PG Hld**	**1**	**Level 3**
14	**Lalit Melkani**	**2201320272**	**Chemistry Paper III**	**MB PG Hld**	**2**	**Level 4**
15	**Aman Sah**	**2202920014**	**Zoology Paper II**	**RH Kashipur**	**26**	**Level 2**
16	**Manpreet Kaur**	**2202920245**	**Physics Paper II**	**RH Kashipur**	**5**	**Level 2**

B.Sc. II Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	**Mohit Joshi**	**2101320272**	**Mathematics Paper III**	**MB PG Hld**	**2**	**Level 3**
2		**2101320597**	**Mathematics Paper I**	**MB PG Hld**	**00**	**Level 3**
3	**Babita Bisht**	**2101320676**	**Mathematics Paper I**	**MB PG Hld**	**7**	**Level 2**
4	**Ajay Paneru**	**2101310020**	**Mathematics Paper I**	**MB PG Hld**	**8**	**Level 3**
5	**Saketh Chaunan**	**2103020121**	**Mathematics Paper I**	**SBS Rudrapur**	**00**	**Level 4**

09-07-2022

6	Kiran Chand	2003520043	Chemistry Paper II	HNB Khatima	7	Level 2
7	ABhishek Chandra	210310003	Chemistry Paper	HNB Khatima	4	Level 2
8	Preeti Joshi	2103120181	Chemistry Paper II	HNB Khatima	4	Level 2
9	Piyush Bisht	2001320414	Physics Paper II	MB PG Hld	7	Level 4
10	Anuj Singh Bisht	2101320044	Physics Paper II	MB PG Hld	2	Level 2
11	Karan Singh Khatri	2101320215	Physics Paper II	Mb PG Hld	3	Level 3

B.Sc III Year/III Semester

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Nihal Upadhyay	2001320372	Maths Paper III	MB Govt. PG Hld	11	Level 4
2	Mahish Chauhan	2001320316	Chemistry Paper I	Mb Govt. PG Hld	16	Level 2
3	Rekha Joshi	190110270462	Maths Paper I	SSJ Almora	18	Level 2
4	Rakesh Singh Bisht	190120270152	Maths Paper I	DSB Campus Ntl	30	Level 4
5	Bharat Singh	190110270029	Chemistry Paper II	SSJ Almora	19	Level 3

09/07/2022

6	Vineeta Negi	2001321147	Chemistry Paper II	MB PG Hld	3	Level 4

M.Sc III Semester (Chemistry)

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Sukriti Gahlot	200290660027	Chemistry Paper V	R.H PG Kashipur	19	Level 4

B.A. 1st Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Ishrat	2203010847	Political Science Paper I	SBS Rudrapur	19	Level 2
2	Niranjan Das	2201310700	History Paper II	MB PG Haldwani	9	Level 4
3	Kamal	2205310027	Sociology Paper I	RH PG Kashipur	14	Level 4
4	Arun Kumar	2203210011	Sociology Paper I	Govt. PG Bazpur	21	Level 3
5	Kartik	2202910311	Hindi Lang. Paper II	RH PG Kashipur	6	Level 4

09-07-2022

6	**Bably**	**2202910870**	**Education Paper II**	**RH PG Kashipur**	**11**	**Level 4 (A)**
7	**Sailesh Raturi**	**2202910622**	**Education Paper II**	**RH PG Kashipur**	**5**	**Level 2**

B.A. 2nd Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	**Rajkumar**	**2102910330**	**Political Science Paper II**	**RH PG Kashipur**	**7**	**Level 2**
2	**Jyoti**	**2101310700**	**History Paper I**	**MB PG Hld**	**9**	**Level 4**
3	**Preeti**	**2101310849**	**History Paper I**	**MB PG Hld**	**7**	**Level 4**
4	**Manish Kumar**	**2002910190**	**History Paper I**	**RH PG Kashipur**	**18**	**Level 4 (A)**
5	**Sahajpreet Singh**	**2101310398**	**Education Paper II**	**MB PG Hld**	**21**	**Level 4 (A)**

09-07-2022

B.A. 3rd Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Shivani Rawat	2002911076	History Paper II	RH PG Kashipur	18	Level 4
2	Akash Rawat	2002110001	Sociology Paper I	Govt College Syalde	37	Level 2
3	Manoj Kumar	2002110009	Hindi Lit. Paper II	Govt College Syalde	24	Level 3 (A)
4		2001310367	Education Paper II	MB PG Hld	23	Level C (B)

M.A (History) 1St Semester

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Anjali Rana	210310460031	Paper IV	HNB PG Khatima	15	Level 4
2	Noorshifa	210300460049	Paper VIII	Govt PG Rudrapur	32	Level 4

B.Com. 1st Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Kailash Gupta	2201330702	Business Economics Paper I	MB Govt. PG Hld	08	Level 3 (B)
2	Lalit Sahni	2203030180	Business Economics Paper I	SBS Rudrapur	07	Level 3 (B)
3	Muskan Rawat	2201430345	Business Environment Paper II	PNG Ramnagar	01	Level 3 (B)
4	Kartikey Agarwal	2202930110	Business Regulatory Paper II	RH Kashipur	18	Level 4 (A)
5	Geetanjali Nagaliya	2201330665	Business Regulatory Paper II	MB PG Haldwani	15	Level 3 (B)

B.Com. 2nd Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Abdul Ahmed	2101330003	Public Finance Paper II	MB PG Hld	00	Level 4 (A)
2	Manushi Negi	2101330706	Public Finance Paper II	MB PG Hld	19	Level 2
3	Lokesh Paliwal	2101330250	Cost Accounting Paper II	MB PG Hld	11	Level 4 (A)

09-07-2022

4	Vikash Lohani	2101330521	Basic Business Finance Paper I	MB PG Hld	15	Level 4 (A)
5	Rajesh Singh Bisht	2101330406	Money Banking Paper I	MB PG Hld	9	Level 3 (B)
6	Surbhi Joshi	2101330456	Basic Business Finance Paper I	MB PG Hld	14	Level 4 (A)
7	Krishna Mehra	2101330231	Money Banking Paper I	MB PG Hld	03	Level 3 (B)
8	Sasank Mahrotra	2103230036	Personal Management Paper II	Govt. PG College Bazpur	04	Level 4 (A)

B.Com. 3rd Year

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Gaurav Arya	2001330954	Corporate Level Framework Paper I	MB PG Hld	9`	Level 3 (B)
2	Ashiesh Kumar	2003530010	Income Tax and Account Paper I	Govt PG Tanakpur	9	Level 3 (C)
3	Deepak Joshi	2001330110	Management Accounting Paper II	MB PG Hld	3	Level 4 (C)
4	Yesh Goyal	2003230053	Management Accounting Paper II	Govt PG Bazpur	11	Level 3 (C)
5	Sahil Rana	2003130102	Accounting Management Paper II	HNB Khatima	21	Level 3 (C)
6	Satyam Singh Sain	2003130105	Accounting Management Paper II	HNB Khatima	14	Level 3 (C)

09-07-2022

7	Riyaz Ahmad	2003130098	Management Accounting Paper II	HNB Khatima	24	Level 4 (C)
8	Pankaj Singh Bisht	2003130082	Management Accounting Paper II	HNB Khatima	9	Level 3 (B)
9	Pankaj Mandal	2003130081	Management Accounting Paper II	HNB Khatima	15	Level 3 (B)
10	Ravindra Kumar	2003130097	Management Accounting Paper II	HNB Khatima	12	Level 3 (B)
11	Manish Kumar Saxena	2003130063	Management Accounting Paper II	HNB Khatima	20	Level 4 (C)
12	Mohd. Rehan	2003130073	Management Accounting Paper II	HNB Khatima	17	Level 3 (C)

B.Com. 5th Semester

S.N.	Name	Roll No.	Sub./Paper	Centre	Marks Awarded	Decision
1	Sourav Singh Bisht	190160240036	Auditing Paper III	GPGC Ranikhet	14	Level 3 (B)

09-07-2022

समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में अनुचित साधन प्रयोग संबंधी नियमों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे –

1. प्रो० आर० एस० पथनी	संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय (अध्यक्ष)
2. प्रो० संतोष कुमार	संकायाध्यंक्ष, विज्ञान संकाय
3. प्रो० डी० के० भट्ट	संकायाध्यक्ष, विधि संकाय
4. प्रो०शेखर चन्द्र जोशी	संकायाध्यक्ष, दृश्य कला संकाय
5. प्रो० बी० पी० सिंघल	संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
6. प्रो० अराधना शुक्ला	संकायाध्यक्ष, कला संकाय

बैठक में नियमों की समीक्षा एवं पुनरीक्षण किया गया एवं तद्नुसार स्पष्टीकरण एवं संस्तुतियाँ की गईं।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित संशोधित नियम

(सत्र 2018–19 से लागू)

विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधन प्रयोग को रोकने एवं नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु की गयी व्यापक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षकों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के उड़न–दस्ते एवं आन्तरिक उड़नदस्ते, केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही कुलपति महोदय एवं परीक्षा नियंत्रक अथवा नामित सदस्यों द्वारा भी परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जा सकता है। जो परीक्षार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन लिये हुए/प्रयोग करते हुए/चेष्टा करते हुये पकड़े जायेंगे उनके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित नियमों का प्रावधान किया गया है–

परिभाषा–

परीक्षा के दौरान निम्नलिखित कृत्य अनुचित साधन प्रयोग तथा कदाचार की श्रेणी में सम्मिलित हैं–

स्तर–1. अ– परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में दूसरे परीक्षार्थी/परिक्षार्थियों से काना–फूसी करना, बुंदबुदाना अथवा बातचीत करना।

ब– दूसरे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका अथवा अन्य सामग्री से नकल के आशय से देखना या तांक–झांक करना।

स– अन्य परीक्षार्थी को स्वयं की उत्तर–पुस्तिका दिखाकर सहायता करना।

द– परीक्षा कक्ष में बार–बार निर्देशित करने पर भी परीक्षार्थी द्वारा अपने निर्धारित स्थान पर न बैठना।

स्तर– 2. परीक्षार्थी के पास पकड़ी गयी सामग्री विषय से सम्बन्धित न हो।

स्तर– 3. अ– परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन अथवा कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षार्थी के पास पाया जाना, जब तक कि ऐसा कोई भी उपकरण विश्वविद्यालय परीक्षा नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य न हो।

ब– परीक्षार्थी के पास विषय/प्रश्नपत्र से सम्बन्धित अनधिकृत सामग्री पाया जाना, जिसका परीक्षार्थी प्रयोग नहीं कर पाया है। चाहे ऐसी सामग्री लिखित, मुद्रित, कागज या किसी अन्य वस्तु पर, वस्त्र पर अथवा शरीर के किसी भी अंग में पायी जाय।

स्तर– 4. ए– प्रश्नपत्र से सम्बन्धित अनधिकृत सामग्री का प्रयोग करना/करते पाया जाना। चाहे ऐसी सामग्री लिखित, मुद्रित, कागज या किसी अन्य वस्तु पर, वस्त्र पर अथवा शरीर के किसी भी अंग में पायी जाय।

बी– परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता का आचरण करना।

सी– परीक्षार्थी के पास से पायी गयी अनधिकृत सामग्री का प्रश्नपत्र से सम्बन्ध हो और परीक्षार्थी ने प्रश्नपत्र का उत्तर देने में उस सामग्री का उपयोग किया हो।

डी– परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी मोबाईल फोन प्रयोग करता हुआ पाया जाये। इस विषय में उड़नदस्ते की टिप्पणी को अंतिम माना जायेगा।

ई– परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति प्रोक्सी अनधिकृत रूप से परीक्षा देता हुआ पाया जाय अथवा परीक्षार्थी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा देने हेतु बैठाना।

एफ– परीक्षार्थी द्वारा किसी अन्य परीक्षार्थी से प्रश्नपत्र अथवा उत्तर–पुस्तिका का आदान–प्रदान करना।

जी– परीक्षा हेतु बांटी गयी उत्तर–पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य उत्तर–पुस्तिका का प्रयोग करना।

एच– परीक्षार्थी का परीक्षा–कक्ष में नशे की हालत में पाया जाना।

स्तर– 5. ए– परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र अथवा केन्द्र से बाहर किसी परिप्रेक्षक अथवा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, गाली–गलौच, आक्रमक व्यवहार करना।

बी– परीक्षार्थी द्वारा उत्तर–पुस्तिका अथवा उसके किसी भाग को कक्ष निरीक्षक को जमा करने के स्थान पर कक्ष से बाहर ले जाना अथवा अपनी या अन्य परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तिका को नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयास करना।

सी– परीक्षार्थी द्वारा अनधिकृत सामग्री को नष्ट करना अथवा नष्ट करने का प्रयास करना।

स्तर– 6 परीक्षार्थी को एक ही सेमेस्टर /वर्ष की परीक्षा में एक से अधिक बार अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दोषी पाया जाना।

स्तर–7. अ– सामूहिक नकल– परीक्षा नियंत्रक को कक्ष निरिक्षकों, परीक्षा कर्मियों, उड़नदस्ते अथवा पर्यवेक्षक द्वारा की गयी लिखित रूप से सामूहिक नकल की शिकाय के आधार पर।

ब– परीक्षा केन्द्र अथवा केन्द्र से बाहर किसी परिप्रेक्षक अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी, उड़नदस्ते के सदस्य, पर्यवेक्षक के साथ मारपीट करना अथवा बंधक बनाना।

स– परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का हथियार लेकर आना।

प्रक्रिया–

स्तर 1 के प्रकरण पर कार्रवाई परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षकों / सहायक केन्द्राध्यक्षों / केन्द्राध्यक्षों द्वारा की जायेगी। स्तर 2 से स्तर 6 तक के प्रकरणों पर निर्णय विश्वविद्यालय की **अनुचित साधन निस्तारण समिति** द्वारा किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग/कदाचार के मामले की शिकायत करते समय परीक्षा कर्मी/अधिकारी अथवा उड़नदस्ता से अपेक्षित होगा कि वह परीक्षार्थी से बरामद अनधिकृत सामग्री पर हस्ताक्षर करेगा तथा अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित निर्धारित प्रपत्र की समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करना होगा। अनुचित साधन में संलिप्त परीक्षार्थी की मूल उत्तर–पुस्तिका जमा कर दूसरी उत्तर–पुस्तिका कार्य हेतु दी जानी होगी। अनुचित साधन प्रयोग में लिप्त परीक्षार्थियों की दोनों उत्तर–पुस्तिकाओं को एक अलग लिफाफे में समस्त अनुचित साधन प्रपत्रों के साथ सीलबन्द कर उस पर अनुचित साधन (UFM) लिख कर उसी दिन (अथवा अधिकतम दूसरे दिन) पंजिकृत पार्सल द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित आरोपी परीक्षार्थी को लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित उत्तर–पुस्तिकायें विश्वविद्यालय को प्राप्त होने के पश्चात् विषय विशेषज्ञ को मूल्यांकन एवं आख्या हेतु प्रेषित की जानी होगी। विषय विशेषज्ञ के मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक अनुचित साधन प्रकरण तथा कदाचार के प्रकरणों को कुलपति जी द्वारा गठित **अनुचित साधन निस्तारण समिति** के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे।

दण्ड एवं प्रावधान–

यदि कोई परीक्षार्थी स्तर–1 से स्तर 6 में उल्लिखित किसी भी कृत्य को करने के लिये दोषी पाया जाय, तो उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा–

स्तर–1	परीक्षार्थी को कड़ी मौखिक चेतावनी देना या परीक्षा अधिकारी द्वारा स्थान भी परिवर्तित किया जा सकता है। अथवा उपरोक्त दोनों।
स्तर–2	चेतावनी के साथ परीक्षाफल घोषित किया जाता है।
स्तर–3	सम्बन्धित प्रश्नपत्र का परीक्षाफल निरस्त किया जाता है तथा वार्षिक पद्धति के परीक्षार्थियों को सम्बन्धित प्रश्नपत्र में सुधार परीक्षा की अनुमति दी जाती है। सुधार परीक्षा के आरोपी परीक्षार्थी को आगामी

	वर्ष की परीक्षा में सम्बन्धित प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। सेमेस्टर पद्धति के परीक्षार्थी को सी0ओ0पी0 के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।
स्तर–4	संबधिंत सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा। यदि परीक्षार्थी किसी सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सीओपी (Carry Over Paper) की परीक्षा भी दे रहा है और – (1) संबधिंत सेमेस्टर परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो उस सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा किन्तु सीओपी का परीक्षाफल अप्रभावित रहेगा तथा (2) यदि वह सीओपी में पकड़ा जाता है तो सीओपी परीक्षाफल के साथ–साथ उस सेमेस्टर का परीक्षाफल भी निरस्त होगा जिसके साथ वह सीओपी दे रहा है। (3) यदि वह सेमेस्टर व सीओपी दोनों की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो वह स्तर–6 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यदि परीक्षार्थी किसी वार्षिक परीक्षा से संबधिंत सुधार परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो उसका वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी के प्रोक्सी के रूप में परीक्षा दे रहा वयक्ति भविष्य में विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनर्ह माना जाएगा तथा विश्वविद्यालय की प्रत्येक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
स्तर–5	वार्षिक परीक्षा जिसमें सुधार परीक्षा भी सम्मिलित है, का परीक्षाफल निरस्त एवं आगामी एक वर्ष की परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा। सेमेस्टर परीक्षा में अनुचित साधन में दोषी पाए जाने पर उस सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त एवं आगामी दो सेमेस्टर परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि परीक्षार्थी ने प्रथम सेमेस्टर की

	परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग किया है तो उसका प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे आगामी वर्ष की सम (द्वितीय, चतुर्थ इत्यादि) एवं विषम (प्रथम, तृतीय इत्यादि) सेमेस्टर परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा। यदि उसने सीओपी की परीक्षा भी दी है और – (1) केवल सेमेस्टर परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो उसका सीओपी का परीक्षाफल अप्रभावित रहेगा और (2) यदि वह सीओपी में अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो तो सीओपी परीक्षाफल के साथ–साथ उस सेमेस्टर का परीक्षाफल भी निरस्त होगा जिसके साथ वह सीओपी दे रहा है। (3) यदि वह सेमेस्टर व सीओपी दोनों की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो वह स्तर–6 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
स्तर–6	यदि परीक्षार्थी एक ही वर्ष/ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रथक–प्रथक स्तर के अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो उसके प्रत्येक कृत्य हेतु दण्ड का निर्धारण स्तर–3 से स्तर–5 हेतु निर्धारित उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा। परन्तु यदि कोई परीक्षार्थी उपर्युक्त एक ही प्रावधान (स्तर–1 एवं स्तर–2 के प्रावधानों को छोड़कर) के अन्तर्गत दो अथवा अधिक बार अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाया जाता है तो उसे एक अतिरिक्त वर्ष /आगामी दो सेमेस्टर के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण

1. ऐसे समस्त पाठ्क्रमों जिनमें उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषयुं में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और अथवा जिनमें उत्तार्ण परीक्षार्थी की श्रेणी डिवीजन का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक विषयों में पृथक–पृथक निर्धारण किए जाने की व्यवस्था है, में किसी परीक्षार्थी के सैद्धान्तिक परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत पकड़े जाने पर उसका केवल सैद्धान्तिक विषयों का परीक्षाफल ही निरस्त किया जाएगा। यही नियम प्रायोगिक

विषय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकडे जाने पर भी लागू होगा। ऐसे परीक्षार्थी के सम्बन्ध में अन्य शास्तियों का यथायोग्य निर्धारण इस नियमावली के अन्य नियमों के आधीन किया जाएगा।	
स्तर–7	परीक्षार्थी का उस वर्ष / सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त एवं विश्वविद्यालय से परीक्षार्थी का स्थाई निष्कासन एवं विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने पर स्थाई प्रतिबन्ध।

संस्तुतियां :

1. समिति को परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराये गए विभिन्न उड़नदस्तों, पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदनों एवं माननीय उच्च न्यायालय में अनुचित साधन के प्रकरण में विश्वविद्यालय के निर्णय के विरुद्ध याचिका के आलोक में समिति यह संस्तुत करती है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में वर्तमान प्रश्न–पत्रों के प्रारुप में परिवर्तन नितान्त वांछित प्रतीत होता है ताकि अनुचित साधन के प्रयोग की संभावनाओं को न्यून किया जा सके। अतः समिति यह संस्तुत करती है कि प्रश्न–पत्रों के खण्ड–अ (Section – A) जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाहित होते हैं को पूर्ण रुप से हटा दिया जाये। प्रश्न–पत्र दो खण्डों अ तथा ब (Section – A and Section –B) में विभक्त हो, जिसमें से खण्ड अ में लघु उत्तरीय प्रश्न एवं खण्ड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हों। खण्ड ब के समस्त प्रश्न अनिवार्य होंगें तथा प्रत्येक प्रश्न में आन्तरिक रुप से एक वैकल्पिक प्रश्न उपलब्ध होगा।